

[2024] 11 एस सी आर 2369 : 2024 आई. एन. एस. सी 870

भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य

बनाम

ओम प्रकाश

(सिविल अपील सं.4393/2010)

13 नवंबर 2024

[हृषिकेश रॉय* और एस. वी. एन. भट्टी, जे. जे.]

विचार के लिए मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय ने कर्मचारी द्वारा अपने बाद के रोजगार का खुलासा करने में विफलता और एल. आई. सी. कर्मचारी विनियम, 1960 के विनियम 39 (4) (iii) के तहत नियोक्ता द्वारा प्रक्रियात्मक अनुपालन के बावजूद सेवा परित्याग के लिए उसकी समाप्ति को दरकिनार करके कर्मचारी को राहत देने में गलती की है।

हेडनोट्स[†]

विनियमन 39 (4) (iii), एल. आई. सी. कर्मचारी विनियम, 1960- सेवा का परित्याग- विनियम के अनुसार यदि कोई कर्मचारी बिना सूचना के लगातार 90 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसे सेवा त्यागने वाला मानता है - कर्मचारी ने नियोक्ता को सूचित किए बिना खुद को अनुपस्थिति कर लिया, और उसके दर्ज पते पर नोटिस जारी किए गए-उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के सेवा परित्याग अनदेखी की और बाद की नौकरी को दबा दिया। [पैरा 11]

भारत का संविधान- अनुच्छेद 226- समान राहत- अनुच्छेद 226 के तहत राहत न्यायसंगत है और याचिकाकर्ता को सद्भाव से अदालत का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता है- विवाद के लंबित रहने के दौरान कर्मचारी ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में नौकरी हासिल कर ली, लेकिन इस तथ्य को अदालत और नियोक्ता से छिपाया- बाद के रोजगार का दमन कर्मचारी को न्यायसंगत राहत के लिए अयोग्य बनाता है [पैरा 10,12]।

नोटिस की तामील - विनियमन 39(4)(iii), एल.आई.सी स्टाफ विनियम, 1960 के तहत प्रक्रियात्मक अनुपालन - विनियमन 39(4)(iii) सेवा रिकॉर्ड में कर्मचारी के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस की तामील की अनुमति देता है, यदि यह

* लेखक

अवितरित हुआ हो और कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया गया हो तो इसे तामील माना जाएगा- कर्मचारी के स्थायी पते पर नोटिस भेजे गए, डाक टिप्पणियों के साथ जो इंगित करते हैं कि उसने अपनी नौकरी और निवास छोड़ दिया था - प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया गया - यह माना गया कि नियोक्ता की कार्रवाइयां विनियमन का अनुपालन करती हैं, और कर्मचारी की गैर-प्रतिक्रिया ने परित्याग निष्कर्ष को उचित ठहराया- नोटिस की तामील पर उच्च न्यायालय का संदेह गलत था। [पैरा 9,11]

अभिनिर्धारित किया गया: उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार करके और बर्खास्तगी आदेश को रद्द करके कर्मचारी को राहत देने में गलती की, क्योंकि इसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि "यह कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता को अपने ठिकाने के बारे में सूचित किए बिना अपनी सेवाएं छोड़ने का मामला था - एल.आई.सी स्टाफ विनियमन के अनुसार, कर्मचारी को उसकी नौकरी छोड़ने वाला मानना और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करना गलत नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह दिनांक 25.09.1995 से अनुपस्थित था, नोटिस का जवाब नहीं दिया गया था, और उसके बाद 14.04.1997 को भारतीय खाद्य निगम में उसकी नियुक्ति हुई थी - कर्मचारी द्वारा 05.01.1998 को दायर रिट याचिका में इस रोजगार को दबाने से उसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय से न्यायसंगत राहत पाने का अधिकार नहीं रहा - तदनुसार, आक्षेपित आदेश को रद्द व् खारिज किया जाता है [पैरा 8-13]।

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; एल. आई. सी. कर्मचारी विनियम, 1960।

मुख्य शब्दों की सूची

सेवा का परित्याग; अनधिकृत अनुपस्थिति; न्यायसंगत राहत; तथ्यों का दमन।

जिससे मामला उत्पन्न हुआ

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या: 4393/2010

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला के एल.पी.ए संख्या 6/2003 में दिनांक 26.06.2008 के निर्णय एवं आदेश द्वारा

पक्षकारों के लिए उपस्थिति

कैलाश वासुदेव, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री एकता चौधरी, दिव्यांक दत्त द्विवेदी, सुश्री जेबा खान, अधिवक्तागण - अपीलार्थियों की ओर से ।

जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, कुणाल चटर्जी, अधिवक्ता।- प्रत्यर्थी की ओर से

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

हृषिकेश रॉय, जे।

1. अपीलकर्ता(ओं) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कैलाश वासुदेव को सुना गया। साथ ही विद्वान न्यायमित्र श्री जयदीप गुप्ता और उनका सहयोग करते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री कुणाल चटर्जी को भी सुना गया।
2. यहां हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एल.पी.ए संख्या 6/2003 में दिनांक 26.06.2008 के निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 21.05.2003 के निर्णय को डिवीजन खण्ड पीठ द्वारा बरकरार रखा गया था। उक्त निर्णय के माध्यम से, अपीलकर्ता(ओं) द्वारा 25.06.1996 को प्रतिवादी की बर्खास्तगी का आदेश अपचारी को उचित अवसर प्रदान न करने के आधार पर अस्थिर पाया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सेवा से हटाने के दंड को रद्द कर दिया तथा अपचारी को सभी परिणामी लाभ प्रदान किए। तथापि, न्यायालय ने कहा कि नियोक्ता भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) विनियमन, 1960 (संक्षेप में "एल.आई.सी कर्मचारी विनियमन" के अनुसार) के तहत आरोपों की जांच करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।
3. अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 25.06.1996 के आदेश (अनुलग्नक पी-1) के माध्यम से प्रतिवादी को सेवा से हटाने का आदेश देते समय प्रतिवादी द्वारा इयूटी से अनुपस्थिति को एल.आई.सी कर्मचारी विनियमन के स्पष्टीकरण 1 के साथ पठित विनियमन 39(4)(iii) के तहत सेवा का परित्याग करने का मामला माना। आदेश में कहा गया है कि अपराधी जारी किए गए नोटिस का जवाब देने में विफल रहा। इसके अलावा, एलआईसी स्टाफ विनियमन में निर्दिष्ट अनुसार, उनका ठिकाना 90 दिनों से अधिक समय तक ज्ञात नहीं था। प्रतिवादी जो एल.आई.सी में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत था, दिनांक 25.9.1995 से अपने नियोक्ता को सूचित किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित था। एलआईसी द्वारा उसे कार्य पर लौटने के लिए भेजे गए पत्रों का भी अपचारी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद 14.02.1996

को आरोप पत्र-सह-कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें उसे सेवा से हटाने का प्रस्ताव दिया गया। लेकिन इसका भी उत्तर नहीं दिया गया।

4. इसलिए प्राधिकरण ने इसे सेवा का परित्याग करने का मामला माना और विनियमन 39(4)(iii) के तहत शक्तियों का आह्वान करते हुए अपचारी को हटाने का आदेश दिया। विनियमन का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

“39 (4) (iii) जहां किसी कर्मचारी ने अपना पद त्याग दिया है, वहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा और उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

स्पष्टीकरण: 1. इस विनियमन के प्रयोजन के लिए, यदि कोई कर्मचारी बिना छुट्टी के इयूटी से अनुपस्थित रहता है या लिखित में सूचना दिए बिना लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए अपने अवकाश से अधिक समय तक रहता है तो उसे अपना पद त्यागने वाला माना जाएगा।

2. इस विनियम के अंतर्गत सभी पत्र-व्यवहार तथा इसके अंतर्गत पारित आदेशों की प्रतियां, यदि कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित हो तो उसे व्यक्तिगत रूप से दी जा सकती हैं; अन्यथा उन्हें सेवा अभिलेख में दिए गए पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा। जहां ऐसे पत्र या आदेशों की प्रतियां उसे व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा नहीं दी जा सकती हैं, वहां उनकी प्रतियां उस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाएंगी जिसमें कर्मचारी नियोजित है, और ऐसा चिपका दिए जाने पर ऐसे पत्र और आदेश उस पर उचित रूप से तामील किए गए समझे जाएंगे।”

5. अपचारी को राहत देने के उच्च न्यायालय के फैसले पर आपत्ति जताते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कैलाश वासुदेव ने बताया कि दिनांक 14.02.1996 को आरोप-पत्र-सह-कारण बताओ नोटिस से पहले प्रतिवादी को दिनांक 06.10.1995, 06.11.1995 और 19.12.1995 को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें अपचारी को दिनांक 25.09.1995 से कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के बारे में सूचित किया गया था तथा उसे तत्काल सेवा में वापस आने को कहा गया था अन्यथा एल. आई. सी. कर्मचारी विनियमन के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आरोप-पत्र-सह-कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें डाक प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 06.11.1995 के पत्र पर इस आशय का समर्थन किया गया कि जांच करने पर पता चला कि प्रतिवादी ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और अपना निवास स्थान छोड़

दिया है। चूंकि अपचारी द्वारा सभी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, इसलिए प्राधिकारियों ने विनियमन 39 (1) (एफ) के तहत शक्तियों का प्रयोग किया और अपचारी को सेवा से हटाने का आदेश दिया।

6. जब अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 19.08.1997 के आदेश के माध्यम से अपचारी की अपील को खारिज कर दिया गया, तो प्रतिवादी ने रिट याचिका दायर की, जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और खंडपीठ के आक्षेपित आदेश पारित हुए।
- 7.1 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कैलाश वासुदेव ने सबसे पहले यह दलील दी कि अपीलकर्ता ने अपचारी को नोटिस देने के लिए सभी कदम उठाए थे, जो दिनांक 25.09.1995 से नहीं मिला था और इसलिए इसे सेवा के परित्याग का मामला माना गया। तदनुसार, विनियमन 39(4)(iii) के तहत सेवा समाप्ति का आदेश दिया गया।
- 7.2 इसके बाद यह बताया गया कि उस अवधि के आसपास, प्रतिवादी ने 14.04.1997 को भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई) में एजी-III डिपो के रूप में रोजगार प्राप्त किया और यद्यपि यह प्रतिवादी द्वारा सेवा छोड़ने का एक महत्वपूर्ण संकेत था, लेकिन वह रिट याचिका संख्या 41/1998 में इसका खुलासा करने में विफल रहा, जो बाद में दिनांक 05.01.1998 को उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया।
- 7.3 वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी अपने नियोक्ता को सूचित किए बिना 90 दिनों तक इयूटी से अनुपस्थित रहा और चूंकि अपचारी को संबोधित नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, इसलिए अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप की जांच करना असंभव था। इसलिए, नियोक्ता ने इसे सेवा के परित्याग का मामला मानकर उचित ही किया तथा प्रतिवादी को बर्खास्त कर दिया।
8. नोटिस के बावजूद प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया और तदनुसार, श्री जयदीप गुप्ता, विद्वान वरिष्ठ वकील से न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया गया। श्री गुप्ता ने उन परिस्थितियों की ओर ध्यान दिलाया जिनके तहत अपीलकर्ता(ओं) द्वारा प्रतिवादी की सेवाएं समाप्त कर दी गईं और बताया कि अपीलकर्ता(ओं) द्वारा दावा किए गए नोटिस की तामील को सावधानी से किया गया माना जा सकता है, क्योंकि संबंधित नोटिस अलग-अलग पतों पर भेजे गए थे।
9. उपरोक्त पहलू पर, यह स्पष्ट है कि स्थायी पते पर तीन नोटिस भेजे गए थे। दिनांक 06.11.1995 को जारी दूसरे नोटिस, जो अपीलकर्ता(ओं) को वापस लौटा दिया गया था,

के प्रत्युत्तर में हिंदी में डाक टिप्पणी इस प्रकार है:

“पता करने पर पता चला है कि प्राप्तकर्ता कहीं से नौकरी छोड़कर चला गया है। आर. एल. वापस की जाती है "[अंग्रेज़ी अनुवाद: पूछताछ करने पर पता चला है कि प्रेषिणी नौकरी छोड़ चुका है और चला गया है। आर. एल. इसके साथ वापस कर दिया गया है] ”

10. महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिवादी को दिनांक 14.04.1997 को एफ.सी.आई में रोजगार प्राप्त हुआ था और यद्यपि उसकी रिट याचिका नई नौकरी प्राप्त करने के छह महीने बाद दायर की गई थी, लेकिन रिट याचिका में एफ.सी.आई में रोजगार की जानकारी को छिपाया गया था। यदि यह महत्वपूर्ण पहलू ज्ञात होता तो उच्च न्यायालय संभवतः एक अलग दृष्टिकोण अपनाता और प्रतिवादी द्वारा एल.आई.सी में अपनी नौकरी छोड़ने का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता था।
11. उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को इस आधार पर राहत प्रदान की गई कि सेवा समाप्ति का आदेश, उसे उचित अवसर दिए बिना या इयूटी से अनुपस्थिति के आरोप की जांच किए बिना पारित किया गया था। लेकिन ऐसी राहत प्रदान करते समय न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि यह मामला प्रतिवादी द्वारा अपने नियोक्ता को अपने ठिकाने के बारे में सूचित किए बिना अपनी सेवाएं छोड़ने का था। इसके बाद यह पता चला कि वह दिनांक 09.05.1997 को एफसीआई में शामिल हुए थे।
12. प्रतिवादी के इस तरह के आचरण को नियोक्ता द्वारा माफ नहीं किया जा सकता था और इसलिए, हमारे आकलन में, प्रतिवादी को अपनी नौकरी छोड़ने वाला मानना और एल.आई.सी कर्मचारी विनियमन के संदर्भ में उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करना गलत नहीं ठहराया जा सकता है। हमारे लिए यह कहना भी आवश्यक है कि चूंकि अपचारी एफ.सी.आई में अपने रोजगार के तथ्य को छिपाने का दोषी था, इसलिए वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय से न्यायसंगत राहत पाने का हकदार नहीं था।
13. उपरोक्त निष्कर्ष के साथ, उच्च न्यायालय ने हमारे आकलन में, रिट याचिका को अनुमति देकर प्रतिवादी को राहत देने में गलती की। आक्षेपित आदेश को तदनुसार रद्द किया जाता है व खारिज़ किया जाता है। इसके साथ ही अपील को अनुमति दी जाती है तथा पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करने का आदेश दिया जाता है।

मामले का परिणाम: अपील को अनुमति दी गई।

[†]हेडनोट्स अंकितेश ओझा, मानद सहयोगी संपादक द्वारा तैयार किए गए
(अभिनव मुखर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया गया)

अनुवादकर्ता:
नीरज ठाकुर(पुनरीक्षक)